UPET010007742026

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिलः: उच्चतर न्यायिक सेवा :: JO Code-U.P.02751
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–324 सन 2026

1–कु० सरिता उर्फ निशा उम्र करीब 22 वर्ष पुत्री श्री प्रेमपाल
2–श्रीमती कान्ता देवी उम्र करीब 73 वर्ष पत्नी श्री प्रेमपाल
3–यतेन्द्रपाल उर्फ बन्टू उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र श्री प्रेमपाल
समस्त निवासीगण गाँव पहाड़मलपुर, थाना सकरौली, जिला एटा।
4–अंशू उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह निवासी गाँव बदनपुर, थाना सकरौली, जिला एटा।

.....अभियुक्तगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य
2–दुर्गेश पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी गाँव पहाड़मलपुर, थाना सकरौली, जिला एटा।

.....आपत्तिकर्ता

16.03.2026

मु.अ.सं.–0148/2025
धारा–352,115(2),351(3),191(2),109(1),309(6)बी.एन.एस.
थाना–सकरौली, जिला– एटा

आदेश

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण कु०सरिता उर्फ निशा, श्रीमती कान्ता देवी, यतेन्द्रपाल उर्फ बन्टू, अंशू की ओर से मु.अ.सं.–0148/2025, धारा–352, 115(2), 351(3), 191(2), 109(1), 309(6)बी.एन.एस. थाना–सकरौली, जिला–एटा के मामले में अग्रिम जमानत **(Anticipatory Bail)** हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा दुर्गेश यादव पुत्र जयपाल सिंह निवासी म. नं0 21, मोती नगर द्वितीय बालीजीपुरम मथुरा का निवासी है। प्रार्थी दिनांक 16.11.2025 को शाम 6.00 बजे अपने माता पिता के साथ अपने पैतृक गाँव पहाड़मलपुर थाना सकरौली तहसील जलेसर जिला एटा में अपने खेत की ट्रैक्टर से बुबाई करवा रहा था खेत की बुबाई समाप्त होने से पहले उसके ताऊ प्रेमपाल पुत्र

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.03.16 16:25:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्री ज्ञान सिंह व उनके परिवार के लोग व उसकी पुत्री सरिता उर्फ निशा व पत्नी कान्ता देवी, बेटा यतेन्द्रपाल उर्फ वन्टू व पास के गाँव बदनपुर का अंशू पुत्र विजेन्द्र सिंह का छोटा बेटा मौके पर लाठी डण्डे लेकर पहुँच गये और ट्रैक्टर रोककर बुवाई करने से मना किया, क्योंकि प्रेमपाल गलत नीयत से जमीन वादी के खेत की तरफ बढ़ा लेता है तथा वादी द्वारा विरोध करने पर उपरोक्त सभी लोगों ने वादी व उसके माता पिता के साथ भद्दी–भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया मना करने पर उपरोक्त सभी लोगों ने उसके साथ लात घूंसों व लाठी–डण्डों से मारना–पीटना शुरू कर दिया वादी को गीले खेत में धक्का देकर गिरा दिया और प्रेमपाल एवं अंशू ने वादी के गले में साफी का फन्दा डालकर उसका गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास करने लगे तभी वादी के माता पिता ने वामुश्किल वादी को बचाया अन्यथा उक्त दोनों लोग वादी को जान से मार देते और पुलिस यूपी 112 नम्बर पर कॉल किया था तथा वादी का फोन झगड़े में खेत में कहीं गुम हो गया है। उपरोक्त लोगों द्वारा वादी के शरीर पर काफी गम्भीर चोटे पहुँचाई और उसकी माता जी के शरीर पर गम्भीर चोटें पहुँचाई कुछ देर बाद पुलिस आता देख जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

3. अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमा में गाँव की पार्टीबन्दी एवं रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र न तो श्रीमान जी के न्यायालय में दिया गया है और न किसी अन्य न्यायालय में दिया गया है। संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि वादी दुर्गेश ने इस तथ्य का प्रार्थना पत्र थाना–सकरौली, जिला–एटा पर दिनांक–16.11.2025 को शाम 6:00 बजे अपने माता–पिता के साथ अपने पैतृक गाँव पहाड़मलपुर, थाना–सकरौली, तहसील–जलेसर, जिला–एटा में अपने खेत की ट्रैक्टर से बुवाई करवा रहा था। खेत की बुवाई समाप्त होने से पहले मेरे ताऊ प्रेमपाल पुत्र श्री ज्ञान सिंह व उनके परिवार के लोग व उसकी पुत्री सरिता उर्फ निशा व पत्नी कान्ता देवी, बेटा यतेन्द्रपाल उर्फ बन्द्र व पास के गाँव बदनपुर का अंशू पुत्र विजेन्द्र सिंह मौके पर लाठी–डण्डे लेकर पहुँच गये और ट्रैक्टर रोककर बुवाई करने से मना किया, क्योंकि सह–अभियुक्त प्रेमपाल गलत नियत से जमीन मेरे खेत की तरफ बढ़ा लेता है। मुझ प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उपरोक्त सभी लोगों ने मुझ प्रार्थी व मेरे माता–पिता के साथ भद्दी–भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया मना करने पर उपरोक्त सभी लोगों ने हमारे साथ लात, घूसों व लाठी–डण्डों से मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझ प्रार्थी को गीले खेत में धक्का देकर गिरा दिया और

प्रेमपाल एवं अंशू मुझ प्रार्थी के गले में साफी का फन्दा डालकर मेरा गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास करने लगे तभी मेरे माता–पिता ने वमुश्किल मुझे बचाया अन्यथा उक्त दोनों लोग प्रार्थी को जान से मार देते और पुलिस यू०पी० 112 नम्बर पर कॉल किया था तथा मेरा फोन झगड़े में खेत में कहीं गुम हो गया है। उपरोक्त लोगों द्वारा मुझ प्रार्थी के शरीर पर और मेरी माताजी के शरीर पर गम्भीर चोटें पहुंचायी। कुछ देर बाद पुलिस आती देख जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये और कहा कि साले आज तू बच गया आगे तुझे खत्म कर देंगे। वादी व उसके माता–पिता घटना के पश्चात थाना पहुंचे और सारी घटना की जानकारी दी तथा पुलिस द्वारा उपरोक्त लोगों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना दिनांक–16.11.2025 की शाम 6:00 बजे की है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–22.11.2025 को समय 11:14 बजे थाना–सकरौली पर दर्ज करायी, जबकि थाना मात्र 8 कि०मी० दूर है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन विलम्ब से लिखायी गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी की लूट होने का या सामान चुरा लेने का कोई उल्लेख नहीं है। वादी दुर्गेश पुत्र जयपाल सिंह सह–अभियुक्त प्रेमपाल का सगा भतीजा है। जयपाल सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर निजी मकान मथुरा में निवास करते हैं और अत्यधिक पैसे वाले हैं। सह–अभियुक्त प्रेमपाल को हर तरीके से दबाते हैं और उसकी जमीन को भी हड़पने के चक्कर में काफी पहले से विवाद उत्पन्न करते चले आ रहे हैं। पैसे के दम पर यह मुकदमा थाना सकरौली की पुलिस से साज करके धारा–109 (1) बी०एन०एस० का गलत पंजीकृत कराया और बाद में दिनांक 19.01.2026 को वादी ने अपने बयान में लूटने की बात झूठी लिखाकर धारा–309(6) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी करके सह–अभियुक्त प्रेमपाल को घर से पकड़वाकर चालान करवाया है। सह–अभियुक्त प्रेमपाल की जमानत श्रीमान् जी के न्यायालय से स्वीकार हो गई है। सही बात यह है कि दिनांक–16.11.2025 को शाम 4:00 बजे के करीब सह–अभियुक्त प्रेमपाल अपने खेत में बोई हुई गेहूं की फसल को देखने गया तो देखा कि उसकी बोई हुई फसल में पुनः गेहूँ वो दिया। प्रेमपाल द्वारा मना किया कि मेरे खेत में गेहूँ क्यों बो रहे हो तो वादी व उसके माता–पिता ने गाली–गलौज की वह बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा 6:00 बजे जयपाल सिंह ट्रैक्टर लाये तो ट्रैक्टर वाले से मना किया कि मेरे गेहूँ मत जोतना तो ट्रैक्टर वाले ने गेहूँ नहीं जोते जिससे गुस्सा होकर वादी व उसके पिता जयपाल सिंह, माता पुष्पलता व 2 अज्ञात व्यक्तियों ने प्रेमपाल की पत्नी कान्ता देवी और पुत्री निशा को लाठी डण्डों से मारा पीटा तथा पत्नी व पुत्री की लज्जा भंग की। प्रेमपाल ने 112 नम्बर पर कॉल की पुलिस आयी और घटना देखकर चली गयी। प्रेमपाल थाना रिपोर्ट लिखाने गया तहरीर दे दी मगर पुलिस ने रिपोर्ट

नहीं लिखी तब उसने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जाती है। इसी मुकदमा से बचने के लिये यह झूठी रिपोर्ट लिखायी है। कोई भी अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण कु० सरिता उर्फ निशा व कान्ता देवी व यतेन्द्र सह–अभियुक्त प्रेमपाल की पुत्री व पत्नी व पुत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त यतेन्द्रपाल उर्फ बन्टू घटना के दिनांक व समय पर सूरत (गुजरात) प्रान्त में था। कथित घटना का कोई निष्पक्ष व चश्मदीद साक्षी नहीं है सभी गवाह हितबद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट या घटना कारित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी जमानत पर रिहा होने के बाद न्यायालय द्वारा रखी गयीं शर्तों का पालन करेंगे और हर तारीख पर हाजिर न्यायालय आते रहेंगे। अतः प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० स्वीकार कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

4. वादी मुकदमा/शपथकर्ता की ओर से अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र के विरोध में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जिसके संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि शपथकर्ता उपरोक्त पत्ते का मूल निवासी है। जमानत प्रार्थना पत्र की मद सं०–1 पूरी तरह निराधार व असत्य है। उक्त सभी लोगों ने एकराय होकर जान से मारने की नियत से हमला किया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि शपथकर्ता की जान बच गयी। जमानत प्रार्थना पत्र की मद सं0–4 मी असत्य व पूर्णतः गलत है। क्योंकि शपथकर्ता अपने माता पिता के साथ दिनांक–16.11.2025 को घटना के पश्चात थाना सकरौली पहुंचा और घटना की जानकारी दी। जिसके पश्चात पुलिस द्वारा शपथकर्ता का मेडीकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलेसर ले जाया गया। जमातनत प्रार्थना पत्र की मद सं०–6 भी पूर्णतः गलत व असत्य है। अभियुक्त प्रेमपाल व उसके परिवार वालों ने शपथकर्ता के पिता की गाँव की आवासीय जगह के हिस्से पर गुण्डागर्दी व दबंगई से कब्जा कर रखा है और खेत पर भी कब्जा करने की मंशा से प्रेमपाल व अन्य अभियुक्तगण शपथकर्ता व शपथकर्ता के माता–पिता के साथ आये दिन कोई न कोई बारदात करते रहते हैं। इसी के परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट 148/2025 में नामित अभियुक्तगणों ने दिनांक 16.11.2025 को शपथकर्ता व उसके माता–पिता के साथ इतनी संगीन घटना को अंजाम दिया। जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अन्य तथ्य दौरान बहस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा विरोध करते हुए कथन किया है कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रलेखों का सम्यक परिशीलन किया।

7. दण्ड प्रकिया संहिता (उ०प्र०संशोधन) अधिनियम 2018 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 4 सन 2019) धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेः–

1. अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

2. आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

3. न्यायालय से भागने की सम्भाव्यता और,

4. जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, वहाँ आवेदन तत्काल स्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर०एल०जे०राजस्थान 54 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथम दृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जायेगा तो ऐसी दशा में उसकी अन्तरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त यतेन्द्र के विरुद्ध लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमिचिन्ह को नष्ट करने या हटाने का एक आपराधिक इतिहास अंतर्गत धारा 434 भा०दं०सं० है। अभियुक्त के ऊपर लूट करने में स्वेच्छया से उपहति कारित करने का अभियोग अंतर्गत धारा 309(6) बी.एन.एस. एवं धारा 109(1) बी.एन.एस. का गम्भीर आरोप है। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण कु०सरिता उर्फ निशा, श्रीमती कान्ता देवी, यतेन्द्रपाल उर्फ बन्टू, अंशू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)
एटा।